TaxcodeIN | www.taxcode.in



## अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 मार्च, 2018

**सं. 11/2018– एकीकृत कर (दर)**

**सा.का.नि. 270(अ).—** केन्द्रीय सरकार, एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 13) की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद् की सिफारिशों पर, यह समाधान हो जाने पर कि ऐसा करना लोक हित में आवश्यक है, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में सा.का.नि. संख्यांक 1263(अ), तारीख 13 अक्तूबर, 2017 द्वारा प्रकाशित भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं0 32/2017-एकीकृत कर (दर), तारीख 13 अक्तूबर, 2017 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :--

उक्त अधिसूचना के पैरा 2 में, "31 मार्च, 2018" अंकों और शब्द के स्थान पर, "30 जून, 2018" अंक और शब्द रखे जाएंगे ।

[फा.सं. 349/58/2017-जीएसटी(पार्ट)]

रूचि बिष्ट, अवर सचिव

**टिप्पण :** मूल अधिसूचना सं. 32/2017-एकीकृत कर (दर), तारीख 13 अक्तूबर, 2017, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उपखण्ड (i) में सा.का.नि. संख्यांक 1263(अ), तारीख 13 अक्तूबर, 2017 द्वारा प्रकाशित की गई थी ।

## NOTIFICATION

New Delhi, the 23rd March, 2018

**No. 11/2018 – Integrated Tax (Rate)**

**G.S.R. 270(E).—**In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 6 of the Integrated Goods and Services Tax Act, 2017 (13 of 2017), the Central Government, on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, on the recommendations of the Council, hereby makes the following amendment in the notification of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 32/2017- Integrated Tax (Rate), dated the 13th October, 2017, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide number G.S.R. 1263 (E), dated the 13th October, 2017, namely:-

In the said notification, in paragraph 2, for the figures, letters and words "31st day of March, 2018", the figures, letters and words "30th day of June, 2018" shall be substituted.

[F. No. 349/58/2017-GST (Pt.)]

RUCHI BISHT, Under Secy.

**Note :** The principal notification No. 32/2017- Integrated Tax (Rate), dated the 13th October, 2017 was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide number G.S.R. 1263 (E), dated the 13th October, 2017.

## अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 मार्च, 2018

**सं. 10/2018–संघ राज्यक्षेत्र कर (दर)**

**सा.का.नि. 271(अ).—**केन्द्रीय सरकार, संघ राज्यक्षेत्र माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 14) की धारा 8 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद् की सिफारिशों पर, यह समाधान हो जाने पर कि लोक हित में ऐसा करना आवश्यक है, सा.का.नि. सं. 717 (अ), तारीख 28 जून,2017 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित

TaxcodeIN | www.taxcode.in